

15

15

मध्यम श्रेणी शिक्षा विभाग  
मन्दावी मण्डल, गांधी

Howrah

जिला शिक्षा अधिकारी

मन्दावी मण्डल, हरिद्वार

विभाग

अशासकीय जूनियर हाई स्कूल  
मान्यता आवेदों का प्रेषण।

क. सं. सं.

निदेशक, विद्यालय शिक्षा, मन्दावी मण्डल, गांधी, हरिद्वार  
2007-08 दिनांक 24-7-07 एवं आदेश संख्या 6/15065-68/2008-09 दिनांक 24-7-07  
प्राथमिकी के अन्तर्गत मान्यता समिति व सदस्यों की संख्या व प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर  
अशासकीय जूनियर हाई स्कूल को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक व जूनियर हाई स्कूल को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा।

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का नवीनीकरण समय-समय पर कराया जाये।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में कोई सदस्य सार्वजनिक अधिकारी की नियुक्ति के कारण विद्यमान हो तो उसे हटाकर अन्य सदस्य नियुक्त किया जायेगा।
- 3- विद्यालय में नियमानुसार अनुरोधित जाति/जन जाति का प्रतिशत विद्यमान होना आवश्यक है।
- 4- विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित दरों के अनुकूल शुल्क लिया जायेगा। शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 5- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग की जायेगी।
- 6- विद्यालय में रामस्त निधियों का लेखा जोखा नियमानुसार रखा जायेगा।
- 7- विद्यालय में परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक से भिन्न पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक और न पाठ्यपुस्तक का उपयोग किया जायेगा।
- 8- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी।
- 9- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश विभिन्न विभागों को जारी किये जायेंगे, वे पालन किये जायेंगे।
- 10- विभाग से अनुमति प्राप्त किये बिना विद्यालय भवन में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा।
- 11- विद्यालय अपने अध्यापकों, कर्मचारियों को कभी वेतन-आदि में कटौत नहीं करेगा। वेतन आदि का भुगतान समय-समय पर किया जायेगा।
- 12- अप्रशिक्षित अध्यापकों को तीन वर्ष में प्रशिक्षित कर दिया जायेगा।
- 13- विद्यालय में शिक्षा का माहौल देवताविहीन विधि हिन्दी तथा अंग्रेजी में बनाया जायेगा।
- 14- विद्यालय से उस क्षेत्र की वर्तमान संस्थाओं के साथ तथा-तथा पर परिलक्ष्य प्राप्त हो तो उसे पालन प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के विरुद्ध प्रमाणित किया जायेगा।

उक्त के एक संस्था द्वारा उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जायेगा तो प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा।  
कृपया शिथिलता बरतते जा रही है। या कोई तथ्य उजागर होगा तो तत्काल विभाग को सूचित किया जायेगा।  
मान्यता बिना पूर्ण सूचना के निरस्त कर दी जायेगी। व अर्थ के अभाव में प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा।  
विद्यमान विद्यमान है।

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	मान्यता की श्रेणी	जनापद का नाम
1	स्वायत्त चरित्तक जूनियर हाई स्कूल मन्दावी मण्डल, हरिद्वार	6-8 कक्षा की अशासकीय मान्यता	हरिद्वार
2	पुलिस हाई स्कूल पुलिस हाई स्कूल मन्दावी मण्डल हरिद्वार	— तय —	— तय —

मन्दावी मण्डल शिक्षा विभाग  
मन्दावी मण्डल, गांधी